(11)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 137/2022

प्रताप सिंह, एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस्, बहरोड, जिला अलवर (राजस्थान) पिन कोड 301701, मो0न0 9413911053

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 16.05.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 25.04.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 137/2022 पर (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/ 1736–37 दिनांक 25.04.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना ने पत्रांक पी0ए0/RTI/2022/537 दिनांक 13.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री प्रतापसिंह एडवोकेट कोर्ट परिसर बहरोड, जिला झुंझुनूं ने दिनांक 23.02.2022 के द्वारा इस कार्यालय से सूचना के अधिकार 2005 के तहत सूचना चाही जाने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक पीए/आरटीआई/2022/357 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा आवेदक को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा पुनः दिनांक 25.03.2022 को आवेदन करने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक पीए/आरटीआई/2022/446 दिनांक 06.04.2022 के द्वारा आवेदक को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक पी0ए0/RTI/2022/537 दिनांक 13.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री प्रतापसिंह एडवोकेट कोर्ट परिसर बहरोड, जिला झुंझुनूं ने दिनांक 23.02.2022 के द्वारा उनके कार्यालय से सूचना के अधिकार 2005 के तहत सूचना चाही जाने पर उनके कार्यालय के पत्र कमांक पीए/आरटीआई/2022/357 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा आवेदक को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा पुनः दिनांक 25.03.2022 को आवेदन करने पर उनके कार्यालय के पत्र कमांक पीए/आरटीआई/2022/446 दिनांक 06.04.2022 के द्वारा आवेदक को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप [illegible] द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 16.05.2022 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:54 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं